न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 12/2023
दायर दिनांक: 01.09.2023
निर्णय दिनांक 23.07.2024

—: अनवान :—

1. मोहनलाल पिता जेता भील जाति भील आयु वयस्क निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
2. नारायणलाल पिता जेता भील जाति भील आयु वयस्क निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
3. चतरलाल पिता जेता भील जाति भील आयु वयस्क निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
4. लेहरूलाल पिता जेता भील जाति भील आयु वयस्क निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
5. भुरालाल पिता जेता भील जाति भील आयु वयस्क निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।

—— अपीलांटगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

—— रेस्पोडेण्टगण

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2622 दिनांक 03.11.2015 (सहमति विभाजन) न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के आदेश के विरूद्ध अपील</u>

उपस्थितः—

1— श्री लालजी मीणा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2— राजकीय अधिवक्ता, श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम नाथद्वारा, पटवार हल्का नाथद्वारा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद विक्रम संवत् 2069 — 2072 के खाता संख्या 245 में आराजी संख्या 963, 964, 967, 971, 972, 3156/963, 3158/972 कुल किता 07 कुल रकबा 01—16—10, एवं खाता संख्या 830 में आराजी संख्या 962, 968, 969, 970,

2913/965, 3155/963, 3157/972, 3159/972 कुल किता 08 कुल रकबा 02–00–00 की कृषि भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमियां अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां थी, उक्त कृषि भूमियां शामलाती थी, परंतु सभी अपीलार्थी ने मौके पर विभाजन कर रखा था और अपने–अपने हक व हिस्से पर कम से आधिपत्य था और सभी अपीलार्थी इसका उपयोग उपभोग कर रहे थे, परंतु राजस्व रेकार्ड में शामलाती कृषि भूमिया होने से सभी खातेदार अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का विभाजन करवाना तय कर राजस्व कर्मचारी/पटवारी से सम्पर्क कर आपसी सहमति से विभाजन करने का निवेदन किया तब उक्त सभी खातेदार ने राजस्व कर्मचारी/पटवारी साहब से निवेदन किया कि मौके पर आधिपत्य के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में विभाजन कर पृथक–पृथक इंद्राज कर उसके अनुसार नक्शा भी बनाया जावे, सभी खातेदार अनपढ, ग्रामीण परिवेश के खातेदार है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 3159/972, क्षेत्रफल 0–07–10 शामलाती आराजीयात था जिसका सभी अपीलार्थी ने विभाजन नहीं करवाया और उक्त आराजीयात को शामलाती ही रहने दिया गया। सभी अपीलांट उक्त आराजीयात के सम्बंध में कोई अनुतोष नहीं चाहते है, शेष आराजीयात का कब्जे के अनुसार पुनः आपसी सहमति से विभाजन कराना चाहते है। दिनांक 08/08/2023 को अपीलांट संख्या 1 के पुत्र ने सभी अपीलार्थी को बताया कि आपसी सहमति से जो विभाजन करवाया है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने भारी गलती कर दी है, मौके के अनुसार विभाजन नहीं किया है तब सभी अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और जानकारी करने पर वास्तविकता पता चली कि सभी अपीलार्थी के चाहे अनुसार मौके पर जो जिस पर प्रकार से काबिज है उसके अनुसार विभाजन नहीं किया गया है और विभाजन मिंट्स एंड बाउंड्स के अनुसार भी नहीं किया गया है। जिससे सभी पक्षकारों को भारी नुकसान हो सकता है और आपसी मनमुटाव व विवाद बढ़ सकता है तब उक्त विषय में राजस्व कर्मचारियों, पटवारी व तहसीलदार साहब से निवेदन किया तब उन्हें बताया गया कि एक बार आपसी सहमति से विभाजन होने के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन अब हम नहीं कर सकते है। आगे से आदेश लाने पर ही हम कुछ परिवर्तन कर सकते है अथवा पुनः कब्जे के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन की कार्यवाही कर सकते है। इस कारण यह अपील माननीय आप न्यायालय में पेश की जा रही है। उक्त कृषि भूमियों का विभाजन के दस्तावेज तैयार करने में एवं जांच कर निर्णय करने में भारी भुल की गई है। जिससे अपीलार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उक्त विभाजन त्रुटिपूर्ण किया गया है, इस बात की जानकारी होते ही आप श्रीमान् के समक्ष यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। जानबुझकर पक्षकारों ने कोई विलम्ब कारित नहीं किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 03/11/2015 नामांतरण संख्या 2622 को निरस्त फरमाया जावे तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात वाली कृषि भूमियों का कब्जे काश्त एवं मिंट्स एंड बाउंड्स के अनुसार पुनः विभाजन कर उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराई जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी उपस्थिति दी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम नाथद्वारा, पटवार हल्का नाथद्वारा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद विक्रम संवत् 2069 – 2072 के खाता संख्या 245 में आराजी संख्या 963, 964, 967, 971, 972, 3156/963, 3158/972 कुल किता 07 कुल रकबा 01–16–10, एवं खाता संख्या 830 में आराजी संख्या 962, 968, 969, 970, 2913/965, 3155/963, 3157/972, 3159/972 कुल किता 08 कुल रकबा 02–00–00 की कृषि भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमियां अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां थी, उक्त कृषि भूमियां शामलाती थी, परंतु सभी अपीलार्थी ने मौके पर विभाजन कर रखा था और अपने–अपने हक व हिस्से पर कम से आधिपत्य था और सभी अपीलार्थी इसका उपयोग उपभोग कर रहे थे, परंतु राजस्व रेकार्ड में शामलाती कृषि भूमिया होने से सभी खातेदार अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का विभाजन करवाना तय कर राजस्व कर्मचारी/पटवारी से सम्पर्क कर आपसी सहमति से विभाजन करने का निवेदन किया तब उक्त सभी खातेदार ने राजस्व कर्मचारी/पटवारी साहब से निवेदन किया कि मौके पर आधिपत्य के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में विभाजन कर पृथक–पृथक इंद्राज कर उसके अनुसार नक्शा भी बनाया जावे, सभी खातेदार अनपढ, ग्रामीण परिवेश के खातेदार है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 3159/972, क्षेत्रफल 0–07–10 शामलाती आराजीयात था जिसका सभी अपीलार्थी ने विभाजन नहीं करवाया और उक्त आराजीयात को शामलाती ही रहने दिया गया। सभी अपीलांट उक्त आराजीयात के सम्बंध में कोई अनुतोष नहीं चाहते है, शेष आराजीयात का कब्जे के अनुसार पुनः आपसी सहमति से विभाजन कराना चाहते है। दिनांक 08/08/2023 को अपीलांट संख्या 1 के पुत्र ने सभी अपीलार्थी को बताया कि आपसी सहमति से जो विभाजन करवाया है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने भारी गलती कर दी है, मौके के अनुसार विभाजन नहीं किया है तब सभी अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और जानकारी करने पर वास्तविकता पता चली कि सभी अपीलार्थी के चाहे अनुसार मौके पर जो जिस पर प्रकार से काबिज है उसके अनुसार विभाजन नहीं किया गया है और विभाजन मिंट्स एंड बाउंड्स के अनुसार भी नहीं किया गया है। जिससे सभी पक्षकारों को भारी नुकसान हो सकता है और आपसी मनमुटाव व विवाद बढ़ सकता है तब उक्त विषय में राजस्व कर्मचारियों, पटवारी व तहसीलदार साहब से निवेदन किया तब उन्हें बताया गया कि एक बार आपसी सहमति से विभाजन होने के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन अब हम नहीं कर सकते है। आगे से आदेश लाने पर ही हम कुछ परिवर्तन कर सकते है अथवा पुनः कब्जे के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन की कार्यवाही कर सकते है। इस कारण यह अपील माननीय आप न्यायालय में पेश की जा रही है। उक्त कृषि भूमियों का विभाजन के दस्तावेज तैयार करने में, एवं जांच कर निर्णय करने में भारी भुल की गई है। जिससे अपीलार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उक्त विभाजन त्रुटिपूर्ण किया गया है, इस बात की जानकारी होते ही आप श्रीमान् के समक्ष यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। जानबुझकर पक्षकारों ने कोई विलम्ब कारित नहीं किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 03/11/2015 नामांतरण संख्या 2622 को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निरस्त फरमाया जावे तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात वाली कृषि भूमियों का कब्जे काश्त एवं मिंट्स एंड बाउंड्स के अनुसार पुनः विभाजन कर उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस कथन में निवेदन किया कि तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। बहस पर गहन मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि उक्त सहमती विभाजन पत्र पटवारी हल्का द्वारा राजस्व कैम्प में भरकर निर्णय किया गया है लेकिन सहमती विभाजन में जब काश्तकार ग्रामीण परिवेश एवं अनपढ है जो वह की गई कार्यवाही से संतुष्ट रहते हैं। सहमती विभाजन के अवलोकन से यह पाया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण किये बगैर ही विभाजन फरिहस्त तैयार की है और इसीलिए उक्त विभाजन में पिछे के आराजी में जाने के लिए रास्ता छोडा जाना भी नही पाया गया हैं। राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन के संबंध में बनाये गये नियमो की पालना उक्त मामलें में नही किया जाना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 2622 दिनांक 03.11.2015 को अपास्त कर पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जाकर प्रकरण का नये सिरे से विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामांतरण संख्या 2622 दिनांक 03.11.2015 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में नये सिरे से विधिक प्रक्रियानुसार के अनुसार आपसी सहमती से विभाजन की कार्यवाही सम्पादित करें।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद